ए.

जोस पाउलो कुटीनहो

वी.

मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. (2010 की सिविल अपील संख्या 7378)

बी.

सितंबर 13,2019

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जेजे**]**

पुर्तगाली सिविल कोड, 1867:

क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता, एक विदेशी कानून-निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की संहिता पर प्रयोज्यता-आयोजित की गईःपुर्तगाली कानून जो विदेशी मूल का हो सकता है, भारतीय कानूनों का हिस्सा बन गया-यह एक भारतीय कानून है और अब एक विदेशी कानून नहीं है-गोवा भारत का एक क्षेत्र है, गोवा के सभी निवासी भारत के नागरिक हैं-पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, 1962 और गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 के कारण लागू होती है-इस प्रकार, पुर्तगाली नागरिक संहिता एक भारतीय कानून है और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के कोई सिद्धांत लागू नहीं हैं-गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962।

सी.

डी.

गोवा के क्षेत्र के बाहर गोवा के अधिवास की संपत्ति, यदि संहिता या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू होता है-आयोजितःगोवा का अधिवास, जो बॉम्बे या भारत के किसी अन्य हिस्से में रहने लगता है, उसे पुर्तगाली नहीं कहा जा सकता है और उसे किसी विदेशी देश में रहने वाला नहीं कहा जा सकता है-यह व्यक्ति केवल भारत में गोवा के बाहर रहने वाला गोवा का अधिवास है, जो उसका देश है-पुर्तगाली नागरिक संहिता एक विशेष अधिनियम होने के नाते, जो केवल गोवा के अधिवासों पर लागू होता है, गोवा के अधिवासों पर लागू होगा, जो भारत में स्थित सभी संपत्तियों के संबंध में गोवा के अधिवासों पर लागू होगा, चाहे वे गोवा के भीतर हों या गोवा

के बाहर।5 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या उत्तराधिकार के कानून ऐसे गोवा के अधिवासों-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 पर लागू नहीं होंगे।

ई.

एफ.

जी.

पिता द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रोबेट का अनुदान-विरासत के कानूनों पर प्रभाव-आयोजितःप्रोबेट न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इन तक सीमित है -

एच.

390 ए.

391

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर.

यह तय करें कि वसीयत वास्तविक है या नहीं-प्रोबेट का अनुदान किसी भी तरह से मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के विरासत के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा-पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 जैसा कि गोवा राज्य में लागू होता है, उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करेगा, यहां तक कि गोवा के बाहर, भारत में कहीं भी स्थित गोवा के अधिवास की संपत्तियों के संबंध में भी।

बी.

विधियों की व्याख्याःका सिद्धांत-आयोजितःजब सामान्य कानून और विशेष कानून के बीच टकराव होता है तो विशेष कानून प्रबल होगा-यह सिद्धांत विशेष कानून पर अधिक बल के साथ लागू होगा जो अतिरिक्त रूप से एक स्थानीय कानून भी है-यह लैटिन मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस गैर अपमानजनक पर आधारित है अर्थात सामान्य कानून विशेष कानून के लिए उपज देता है यदि वे एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं।

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** सिविल कोड पुर्तगाली मूल की संहिता हो सकती है, लेकिन गोवा, दमन और दीव की विजय और विलय के बाद, यह संहिता केवल अध्यादेश के आधार पर और उसके बाद अधिनियम द्वारा गोवा के अधिवासों पर लागू हुई। इसलिए, भारतीय संसद के एक

अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव में नागरिक संहिता लागू की गई है और इस प्रकार, यह एक भारतीय कानून बन जाता है।[पैरा **14] [402-**ई-एफ]

डी.

ई.

1.2 जहाँ तक पुराने कानूनों के जारी रहने का संबंध है, नए संप्रभु पुराने कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।पुराने कानूनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अपनाने की स्वतंत्रता है।यह पुराने कानूनों को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है और उन्हें उन कानूनों से प्रतिस्थापित कर सकता है जो नए संप्रभु के अन्य क्षेत्रों में लागू होते हैं।यह नए संप्रभु को तय करना है कि वह कानूनों को लागू करने के संबंध में क्या कार्रवाई करेगा और किस तारीख से कौन सा कानून लागू होगा।जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, सबसे पहले राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश द्वारा और बाद में संसद ने संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्णय लिया कि गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों पर इसकी विजय से पहले लागू होने वाले कुछ कानून, जिन्हें पूर्ववर्ती पुर्तगाली कानून के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, इन क्षेत्रों में जारी रहेंगे।हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि ये कानून केवल तब तक जारी रहेंगे जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।इस प्रकार ये कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक कि

एफ.

जी.

एच.

ए.

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल भारत की संसद के एक अधिनियम के कारण गोवा में लागू होती रही।इसलिए, पुर्तगाली कानून जो विदेशी मूल का हो सकता है, भारतीय कानूनों का एक हिस्सा बन गया, और कुल मिलाकर यह एक भारतीय कानून है।यह अब कोई विदेशी कानून नहीं है।गोवा भारत का एक क्षेत्र है; गोवा के सभी निवासी भारत के नागरिक हैं; पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल अध्यादेश और अधिनियम के कारण लागू होती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि संहिता एक भारतीय कानून है और इस मामले में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है।[पैरा **17,18] [406-**बी-एफ]

बी.

2.1 भारतीय संसद ने गोवा राज्य में पहले के पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू किया है। अनुच्छेद **24** तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।जब कोई कानून किसी नई

स्थिति में अपनाया या लागू किया जाता है, तो उसे उस संदर्भ में पढ़ना पड़ता है।अनुच्छेद **24** को विजय द्वारा गोवा के क्षेत्रों के विलय और उनके भारत का एक अंतर्निहित हिस्सा बनने के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।गोवा के कोई नागरिक नहीं हैं; गोवा के निवासी हो सकते हैं लेकिन सभी भारत के नागरिक हैं।भारतीय नागरिकों के रूप में, संविधान के अनुच्छेद **19** के तहत, वे देश के किसी भी हिस्से में जाने, वहां रहने और स्थानीय कानूनों और सीमाओं के अधीन संपत्ति खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।इसलिए, गोवा का अधिवास, जो बॉम्बे या भारत के किसी अन्य हिस्से में रहने लगता है, उसे किसी भी तरह से पुर्तगाली नहीं कहा जा सकता है और उसे किसी विदेशी देश में रहने वाला नहीं कहा जा सकता है। भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को विदेश में रहने वाला नहीं कहा जा सकता है।यह व्यक्ति भारत में गोवा के बाहर रहने वाला केवल एक गोवा निवासी है, जो उसका देश है। इसलिए, अनुच्छेद **24** की कोई प्रयोज्यता नहीं है।**[**पैरा **22] [407-**जी**; 408-**सी**-**ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.2 पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि संहिता लागू होती है।अनुच्छेद **1737** को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मृतक की विरासत में मृतक की सभी संपत्ति, अधिकार और देनदारियां शामिल हैं।एकमात्र बहिष्करण, पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति या वे हैं जिन्हें उक्त मृतक के स्वभाव या कानून द्वारा बाहर रखा गया है।अनुच्छेद **1766** में प्रावधान किया गया है कि एक विवाहित व्यक्ति दंपति की कुछ और विशिष्ट संपत्तियों का निरस्तीकरण नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उक्त संपत्तियां उक्त व्यक्ति को आवंटित की गई हों।इस अनुच्छेद का आधार यह है कि दोनों पति-पत्नी जोड़े की पूरी संपत्ति के समान मालिक हैं-ए से पहले या बाद में अधिग्रहित।

जी.

एच.

शादी।इसलिए, दूसरे पति या पत्नी की सहमति के बिना संपत्ति के कुछ हिस्से के निपटान को शून्य कहा जा सकता है।**[**पैरा **23-24] [408-E-H; 409-B-C]**

2.3 अधिकांश मामलों में, वैधता आधी होगी।एक बार जब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि नागरिक संहिता एक भारतीय कानून है और गोवा के अधिवास, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, भारतीय नागरिक हैं, तो यह अभिनिर्धारित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा कि नागरिक संहिता, उत्तराधिकार के मामलों में, केवल गोवा के क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के संबंध में लागू होगी। **[**पैरा **25] [409-**ई**-**एफ**]**

बी.

2.4 उत्तराधिकार सामान्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होता है और जहां एक समान नागरिक संहिता है, जैसा कि गोवा में, नागरिक संहिता द्वारा है।एक बार जब अनुच्छेद **24** पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि गोवा के भीतर या गोवा के बाहर की सभी संपत्तियों को गोवा के नागरिक संहिता द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यदि इसे अन्यथा माना जाता है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, कम से कम कहने के लिए।उत्तराधिकार की कोई निश्चितता नहीं होगी।वैधानिकता का निर्धारण करना लगभग असंभव होगा जो उत्तराधिकार के कानून का एक अंतर्निहित हिस्सा है।गोवा राज्य के बाहर संपत्ति खरीदकर पति**-**पत्नी के **50** प्रतिशत संपत्ति रखने के अधिकार को आसानी से हराया जा सकता है। गोवा के हिंदू अधिवास के मामले में यह और जटिलताओं को जन्म देगा क्योंकि यदि एकल न्यायाधीश के फैसले और प्रत्यर्थीगण की दलीलों को स्वीकार किया जाता है, तो गोवा में संपत्तियों के लिए, नागरिक संहिता लागू होगी, लेकिन गोवा के क्षेत्र के बाहर की संपत्तियों के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा।इसी तरह, गोवा राज्य के भीतर मुसलमानों के लिए, नागरिक संहिता लागू होगी और गोवा के बाहर, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून **(**शरीयत**)** आवेदन अधिनियम, **1937** लागू होगा।इससे उत्तराधिकार के संबंध में कई अनावश्यक विवाद और पूर्ण अनिश्चितता पैदा होगी।**[**पैरा **26] [409-**जी**-**एच**; 410-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.5 उत्तराधिकार में एकता होनी चाहिए।पुर्तगाली कानून वंशानुगत यानी एक मृत व्यक्ति की पूरी कानूनी स्थिति के लिए विरासत की रोमन कानून अवधारणा पर आधारित है। हालांकि यह माना जाता है कि यह भारतीय कानून है, क्योंकि यह पुर्तगाली मूल का कानून है, यह देखने के लिए कि कानून का उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष पर आने के लिए कानून को लागू करने के तरीके से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए।इसलिए, उस व्यक्ति के सभी गुण जिनके

जी.

एच.

ए.

उत्तराधिकार की गणना की जानी चाहिए और एक बड़ी सामूहिक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और फिर उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे।**[**पैरा **27] [410-**सी**,** जी**]**

2.6 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम**,** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम**,** मुस्लिम व्यक्तिगत कानून **(**शरीयत**)** आवेदन अधिनियम**, 1937,** आदि और पुर्तगाली नागरिक संहिता के बीच विरासत के कानूनों के संबंध में संघर्ष है लेकिन इस संघर्ष को हल करना होगा।गोवा पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत की संसद ने पुर्तगाली नागरिक संहिता को अपनाते हुए स्वीकार किया कि गोवा के अधिवास को संहिता के तहत आने वाले मामलों में उस कानून द्वारा शासित किया जाना था और विशेष रूप से उन कानूनों में शामिल किया जाना था जिन्हें लागू किया गया था।भारतीय संसद ने सभी पुर्तगाली कानूनों को लागू नहीं किया**,** लेकिन जो कानून लागू किए गए थे**,** वे पूरी ताकत से लागू होंगे।गोवा**,** दमन और दीव **(**प्रशासन**)** अधिनियम**, 1962** अकेले गोवा के अधिवासों से संबंधित एक विशेष कानून है। पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू करने वाला यह विशेष कानून उत्तराधिकार के सामान्य कानूनों जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम**,** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम**, 1956,** मुस्लिम व्यक्तिगत कानून **(**शरीयत**)** आवेदन अधिनियम**, 1937** और अन्य कानूनों से बना एक अपवाद है।**[**पैरा **28] [410-**एच**; 411-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

2.7 यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जब सामान्य कानून और विशेष कानून के बीच टकराव होता है तो विशेष कानून प्रबल होगा।यह सिद्धांत विशेष कानून पर अधिक बल के साथ लागू होगा जो अतिरिक्त रूप से एक स्थानीय कानून भी है।यह न्यायिक सिद्धांत लैटिन मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट पर आधारित है**,** अर्थात**,** सामान्य कानून विशेष कानून के लिए उपज देता है यदि वे एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं।**[**पैरा **29] [411-**डी**]**

ई.

एफ.

2.8 पुर्तगाली सिविल कोड**,** उत्तराधिकार के मामलों में**,** एक विशेष कानून और एक स्थानीय कानून दोनों है।यह विशेष और स्थानीय है क्योंकि यह केवल गोवा के अधिवासों के लिए उत्तराधिकार के कानूनों से संबंधित है।पुर्तगाली सिविल कोड एक विशेष अधिनियम होने के कारण**,** जो केवल गोवा के अधिवासों पर लागू होता है**,** गोवा के अधिवासों पर उन

सभी संपत्तियों के संबंध में लागू होगा जो वे भारत में गोवा के भीतर या गोवा के बाहर स्थित हों और भारतीय ए की धारा **5**

जी.

एच.

395

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर.

उत्तराधिकार अधिनियम या उत्तराधिकार के कानून ऐसे गोवा के अधिवासों पर लागू नहीं होंगे।**[**पैरा **30-31] [412-A-B; D-E]**

3.1 प्रोबेट देने का आदेश किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है**,** हालांकि सभी पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रोबेट दिया गया था और अपीलार्थीगण को प्रोबेट मामले की सूचना दी गई थी।यह मानते हुए कि प्रोबेट प्रदान किया गया था**,** विरासत के कानूनों पर प्रोबेट के अनुदान के प्रभाव के संबंध में**,** प्रोबेट के अनुदान का विरासत से कोई लेना**-**देना नहीं है।प्रोबेट अदालत का अधिकार क्षेत्र यह तय करने तक सीमित है कि वसीयत वास्तविक है या नहीं।वसीयत वास्तविक हो सकती है लेकिन प्रोबेट के अनुदान का मतलब यह नहीं है कि वसीयत वैध है**,** भले ही वह विरासत के कानूनों का उल्लंघन करती हो। वैधानिकता जन्म से उत्तराधिकारियों का अधिकार है।जब दोनों पति**-**पत्नी जीवित होते हैं**,** तो वे आधी संपत्ति के मालिक होते हैं।केवल प्रोबेट देने का मतलब यह नहीं होगा कि पति आधे से अधिक संपत्ति को विल से छीन सकता है**,** भले ही वह उसके नाम पर हो।जे**.** एम**.** पी**.** द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रोबेट का अनुदान किसी भी तरह से मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के विरासत के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।**[**पैरा **32-33] [412-F-H; 413-A, E]**

बी.

सी.

डी.

3.2 गोवा राज्य में लागू पुर्तगाली नागरिक संहिता**, 1867,** भारत में कहीं भी**,** गोवा के बाहर स्थित गोवा के अधिवास की संपत्तियों के संबंध में भी उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करेगी।**[**पैरा **34] [413-**एफ**]**

ई.

4. बॉम्बे में दिवंगत जे**.** एम**.** पी**.** की संपत्ति को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए गोवा में इन्वेंट्री कार्यवाही में संपत्तियों की सूची में शामिल किया जाना है।उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इन्वेंटरी कार्यवाही में कोर्ट ऑफ कोमार्का जज के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **35] [413-**जी**; 414-**ए**]**

एफ.

ए. पी. फर्नांडीस बनाम एनेट ब्लंट फिंच और अन्य 2015 (6) Mh.L.J. 717; पेमा छिबार बनाम भारत संघ और

ओआरएस। आकाशवाणी 1966 एससी 442:[1966] एस. सी. आर. 357; विनोद कुमार

शांतिलाल गोसलिया बनाम गंगाधर नरसिंहदास अग्रवाल

जी.

(1981) 4 एससीसी 226:[1982] 1 एस. सी. आर. 392; मो.अहमद खान बनाम शाह बानो (1985) 2 एससीसी 556:[1985] 3 एससीआर

844 ; सरला मुद्गल और अन्य बनामभारत संघ और अन्य।

(1995) 3 एससीसी 635:[1995] 1 पूरक।एससीआर 250; आर. एस.

एच.

ए.

रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। **(1992) 1** एससीसी

335 :[1991] 1 पूरक।एस. सी. आर. 387; वाणिज्यिक कर

अधिकारी**,** राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य। **(2014)**

8 एससीसी 319:[2014] 3 एस. सी. आर. 1; आत्मा राम गुण

प्रा**.** लि**.** बनामद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2018) 2**

एससीसी 27:[2017] 12 एससीआर 1044; जस्टिनियानो ऑगस्टो

बी.

डी पाइडेड बैरेटो एंड ओआरएस. वी.एंटोनियो विसेंट दा

फोंसेका और ओआरएस। (1979) 3 एससीसी 47:[1979] 3 एससीआर

494 ; कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा

(2008) 4 एससीसी **300:[2008] 5** एस**.** सी**.** आर**. 640-**संदर्भित।

सिविल लॉ उत्तराधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण**,** विलानोवा

सी.

विधि समीक्षा खंड। **11,** अंक **2-**निर्दिष्ट।मामला कानून संदर्भ

2015 (6) Mh.L.J. 717

संदर्भित किया गया।

पैरा **9**

[1966] एससीआर **357**

संदर्भित किया गया।

पैरा **15**

डी.

[1982] 1 एससीआर **392**

संदर्भित किया गया।

पैरा **16**

[1985] 3 एससीआर **844**

संदर्भित किया गया।

पैरा **20**

[1995] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 250** संदर्भित है।पैरा **20 [1991] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 387** संदर्भित है।पैरा **29 [2014] 3** एससीआर **1**

ई.

संदर्भित किया गया।

पैरा **29**

[2017] 12 एससीआर **1044**

संदर्भित किया गया।

पैरा **29**

[1979] 3 एससीआर **494**

संदर्भित किया गया।

पैरा **30**

[2008] 5 एससीआर **640**

संदर्भित किया गया।

पैरा **33**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2010 की सिविल अपील सं. 7378।

2000 के आदेश संख्या 12 से अपील में गोवा, पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 08.08.2008 के निर्णय और आदेश से।देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश इनामदार, आदित्य भट, जावेदुर रहमान, अश्विन जी. राज, रउफ रहीम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री सोनल मशनकर, श्याम अग्रवाल, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, एड.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

397

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. "क्या भारत में गोवा के बाहर स्थित गोवा के किसी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 द्वारा शासित होगा जैसा कि गोवा राज्य में लागू है या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 "वह प्रश्न है जो इस अपील में निर्णय के लिए उत्पन्न होता है।

बी.

2. एक जोकिम मारियानो परेरा (जे. एम. पी.) की तीन बेटियाँ थीं।, (1) मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा (एमएल), प्रत्यर्थी नंबर 1 (2) वर्जीनिया परेरा और (3) मारिया ऑगस्टा एंटोनिटा परेरा फर्नांडीस।उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम क्लाउडिना लेसेर्डा परेरा था। वे बॉम्बे में रहते थे और उन्होंने वर्ष 1955 में बॉम्बे में एक संपत्ति खरीदी।06.05.1957 पर

उन्होंने बॉम्बे में इस संपत्ति को अपनी सबसे छोटी बेटी, मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा, प्रत्यर्थी संख्या 1 को विरासत में दिया।उन्होंने एक लाख रुपये की वसीयत की। 3000/- उनकी अन्य दो बेटियों में से प्रत्येक को।उनकी पत्नी की मृत्यु 31.10.1960 पर हुई जब वे जीवित थे।जेएमपी की मृत्यु 02.08.1967 पर हुई।गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 06.05.1957 की वसीयत का प्रोबेट 12.09.1980 पर दिया गया था।दोनों अन्य बेटियों को प्रोबेट कार्यवाही का नोटिस दिया गया था।

सी.

डी.

3. गोवा को पुर्तगाली शासन से 19.12.1961 पर मुक्त किया गया था।एक अध्यादेश गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश को 05.03.1962 पर लागू किया गया था और उसके बाद गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 अधिनियमित किया गया था, जिसे इसके बाद '1962 का अधिनियम' कहा जाता है।अध्यादेश के साथ-साथ 1962 के अधिनियम दोनों में यह प्रावधान किया गया था कि गोवा में निर्धारित तिथि से पहले लागू होने वाले कानून, यानी आई. डी. 1, सक्षम विधायिका या प्राधिकरण द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक लागू रहेंगे।1962 के अधिनियम की धारा 5 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

ई.

एफ.

“5. मौजूदा कानूनों की निरंतरता और उनका अनुकूलन।- (1) गोवा, दमन और दीव या उसके किसी भाग में नियत दिन से तुरंत पहले लागू सभी कानून किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक उसमें लागू रहेंगे।

जी.

(2) केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा, दमन और दीव के प्रशासन के संबंध में ऐसे किसी भी कानून को लागू करने में सुविधा प्रदान करने और संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी भी कानून के प्रावधानों को लाने के उद्देश्य से,

एच.

केंद्र सरकार नियत दिन से दो साल के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे वे निरसन या संशोधन के माध्यम से हों, जो आवश्यक या समीचीन हो और उसके बाद, ऐसा प्रत्येक कानून इस तरह किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा।"

4. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 (जिसे इसके बाद 'नागरिक संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) गोवा राज्य में 1962 में इसकी मुक्ति से पहले लागू होगी।सिविल संहिता दो भागों में है-एक भाग उत्तराधिकार के कानूनों सहित सभी महत्वपूर्ण नागरिक कानूनों से संबंधित है और दूसरा भाग प्रक्रिया से संबंधित है।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, पक्षकारों का कहना है कि जहाँ तक गोवा में संपत्तियों के उत्तराधिकार का संबंध है, वे नागरिक संहिता द्वारा शासित हैं।मुख्य विवाद यह है कि जहां अपीलकर्ता, जो जे. एम. पी. की बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक है, दावा करता है कि यहां तक कि बॉम्बे में जे. एम. पी. की संपत्ति से भी सिविल कोड के तहत निपटा जाना है, वहीं प्रत्यर्थी यानी बेटी जिसका बॉम्बे में संपत्ति की वसीयत की गई थी, का मामला यह है कि जहां तक भारत के किसी अन्य हिस्से में गोवा के बाहर स्थित अचल संपत्ति का संबंध है, तो यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 होगा जो लागू होगा।

बी.

सी.

डी.

5. उत्तराधिकार के संबंध में नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।उत्तराधिकार सिविल कोड के शीर्षक II, अध्याय I के तहत शासित होता है।सिविल कोड 1 के तहत, कोई व्यक्ति वसीयत के माध्यम से अपनी सारी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।संपत्ति के दो हिस्से हैं-एक जिसका निपटान वसीयत, उपहार आदि द्वारा किया जा सकता है और दूसरा जो सिविल कोड के अनुच्छेद 1784 के संदर्भ में अपरिहार्य हिस्सा है जो इस प्रकार हैः-

ई.

"वैध का अर्थ है उन संपत्तियों का वह हिस्सा जिसका वसीयतकर्ता निपटान नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे कानून द्वारा वंशजों या उत्तराधिकारियों के लिए अलग किया गया है।

एफ.

एकमात्र परिच्छेदःइस भाग में वसीयतकर्ता की संपत्तियों का आधा हिस्सा शामिल है, सिवाय अनुच्छेद 1785 के खंड-2 और अनुच्छेद 1787 के।"

जी.

1 इस फैसले में, पुर्तगाली नागरिक संहिता के लेखों को मनोहर सिनाई उसगाओकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोवा में नागरिक संहिता, प्रथम संस्करण, 2017, वैकुंठ डेम्पो सेंटर फॉर इंडो पुर्तगाली स्टडीज द्वारा बनाई गई संहिता के अनुवाद से उद्धृत किया गया है।गोवा सरकार द्वारा कुछ लेखों में किए गए अनुवाद के शब्द थोड़े अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है और इसका निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

एच.

399

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

6. आम तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के बच्चे या माता-पिता हैं, तो वह केवल आधी संपत्ति का निपटान वसीयत या उपहार द्वारा कर सकता है और शेष संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों को, चाहे वह उत्तराधिकारी हो या वंशज, नागरिक संहिता में निर्धारित शेयरों में आवंटित किया जाना है।जहाँ किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं है या जहाँ वह अवैध बच्चों को छोड़ जाता है या मृतक केवल उत्तराधिकारी छोड़ जाता है जो माता-पिता नहीं हैं, तो अपरिहार्य हिस्सा आधे से कम होता है।संहिता में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-एक जिसे वह वसीयती स्वभाव से निपट सकता है और दूसरा जिसे वह निपट नहीं सकता है।दूसरा भाग जिसका वह निपटान नहीं कर सकता है, उसे सिविल कोड में निर्धारित शेयरों में उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलना चाहिए और यह भाग जिसे निपटाया नहीं जा सकता है, उसे वैध कहा जाता है।यह वैधता सीधे आरोही या अवरोही रेखा में उत्तराधिकारियों के लिए नियत है।

बी.

सी.

7. सिविल कोड का एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, इन्वेंट्री कार्यवाही शुरू की जाती है जिसमें मृतक की पूरी संपत्तियों (चल और अचल दोनों) और देनदारियों का आविष्कार किया जाता है।इन कार्यवाही में आम तौर पर परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक को कैबेका डी कैसल, यानी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है।प्रशासक को मृतक की सभी संपत्तियों की सूची तैयार करनी होती है।एक बार जब मृतक की संपत्तियों का आविष्कार और मूल्यांकन किया जाता है, तो इन्हें सिविल कोड में निर्धारित शेयरों के अनुसार साझा किया जाना चाहिए।यदि मृतक ने कुछ वसीयती वसीयत किए थे, तो उन वसीयतों को संपत्ति के उस हिस्से के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए जो वैध नहीं था।जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुल संपत्ति का केवल आधा ही वसीयत किया जा सकता है और आधे से अधिक का कोई भी वसीयत वैध वसीयत नहीं होगी।

डी.

ई.

8. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, जे. एम. पी. की संपत्तियों के लिए सिविल कोड के तहत इन्वेंट्री कार्यवाही शुरू की गई थी। 27.04.1981 पर उनकी बेटी वर्जीनिया परेरा को कैबेका डी कैसल (प्रशासक) के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्होंने संपत्तियों की सूची तैयार की और इन कार्यवाही में बॉम्बे में घर जो प्रत्यर्थी नं।1 Sl.No.8 पर सूचीबद्ध किया गया था। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर इन्वेंट्री पर आपत्ति जताई कि बॉम्बे में स्थित संपत्ति इन्वेंट्री कार्यवाही द्वारा नियंत्रित नहीं थी।इसके बाद, वर्जीनिया परेरा की मृत्यु हो गई।फिर प्रत्यर्थी नं।1 प्रशासक नियुक्त किया गया।उन्होंने संपत्तियों की एक नई सूची दायर की और बॉम्बे में संपत्ति को बाहर कर दिया।अपीलार्थी, जो वर्जीनिया परेरा के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक है, ने बॉम्बे में संपत्ति को हटाने पर आपत्ति दर्ज की

एफ.

जी.

एच.

इन्वेंटरी से और यह पता लगाने के लिए कि डिस्पोजेबल भाग क्या था और वैध क्या था, उक्त संपत्ति के समावेश और मूल्यांकन की मांग की।इन्वेंट्री अदालत ने दिनांकित 09.03.1998 आदेश के माध्यम से कहा कि बॉम्बे में संपत्ति को गोवा में इन्वेंट्री कार्यवाही में संपत्तियों की सूची से बाहर रखा जाना था। इसके बाद, अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ में एक अपील दायर की।हालाँकि, उन्होंने इन परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिए इन्वेंट्री अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस ले ली। उन्होंने यह आवेदन दायर किया और सूची अदालत ने 15.10.1999 पर आवेदन की अनुमति दी और कहा कि बॉम्बे की संपत्ति को संपत्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी नं.1 और उनके पति (प्रतिवादी संख्या 2) ने इन्वेंट्री अदालत के उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ के समक्ष चुनौती दी।इस अपील की अनुमति 08.08.2008 पर दी गई थी।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों, विशेष रूप से इसकी धारा 5 को देखते हुए, जहां तक भारत के अन्य हिस्सों में गोवा के बाहर स्थित संपत्ति का संबंध है, सिविल कोड लागू नहीं होगा। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा यह अपील।

बी.

सी.

डी.

9. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस बीच, इसी तरह का एक प्रश्न बॉम्बे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ की एक खंड पीठ को भेजा गया था।के मामले में डिवीजन बेंच

ए. पी. फर्नांडिस बनाम एनेट ब्लंट फिंच और अन्य 2 आए

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, जो वर्तमान अपील में विवादित है, सही कानून निर्धारित नहीं करता है और सिविल कोड गोवा के बाहर स्थित संपत्ति पर भी लागू होगा। 10.अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत ने कहा कि भले ही हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठे हों, लेकिन हमें पुर्तगाली कानून को लागू करना होगा जो गोवा के अधिवासों पर लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि पुर्तगाली कानून लागू होता है, इसलिए निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत लागू होंगे।उन्होंने रेन्वोई के सिद्धांत का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि चूंकि गोवा के नागरिक एक विदेशी कानून द्वारा शासित होते हैं, इसलिए यह न्यायालय गोवा के नागरिकों पर विदेशी कानून लागू करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पुर्तगाली कानून के तहत एक मृत पुर्तगाली नागरिक की संपत्ति के उत्तराधिकार की एकता का सिद्धांत है, चाहे वह देश के भीतर या बाहर स्थित हो, जिसे इन्वेंट्री कार्यवाही के उद्देश्य से शामिल किया जाना है।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि संहिता का अनुच्छेद 24 लागू नहीं है

ई.

एफ.

जी.

2 2015 (6) Mh.L.J. 717 A

एच.

401

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

और, वास्तव में, लागू अनुच्छेद अनुच्छेद 1737,1784 और 1961 थे।उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है और खंड पीठ के फैसले को मंजूरी दी जानी चाहिए।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वसीयत के प्रोबेट के अनुदान से वास्तव में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वसीयत वैध है।अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

बी.

11. दूसरी ओर, श्री यशराज सिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. के विद्वान अधिवक्ता । 1 और 2 में आग्रह किया गया है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल गोवा के क्षेत्र में लागू होगी और गोवा राज्य के बाहर स्थित अचल संपत्तियों पर इसका कोई विदेशी अनुप्रयोग नहीं होगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बॉम्बे में संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों और उसकी धारा 5 के संदर्भ में शासित होगी।उनके अनुसार, नागरिक संहिता का अनुच्छेद 24 केवल 'राज्य में स्थित' संपत्तियों से संबंधित है।अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अचल संपत्तियों के मामले में लेक्स री साइटस का सामान्य कानून सिद्धांत लागू होगा। इसलिए, उस स्थान पर लागू कानून लागू होना चाहिए जहां अचल संपत्ति स्थित है।उन्होंने आगे कहा कि नागरिक संहिता केवल गोवा राज्य के भीतर की संपत्तियों पर लागू होगी और उससे आगे नहीं।अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि वसीयत की जांच, जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था, पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने वाला अंतिम निर्णय है।12. हमारे अनुसार, निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैंःI. क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता को विदेशी कानून कहा जा सकता है और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत लागू होते हैं?

सी.

डी.

ई.

II. क्या गोवा के क्षेत्र के बाहर गोवा के अधिवास की संपत्ति संहिता या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होगी, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू होता है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, आदि।?

एफ.

III. जेएमपी द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रोबेट के अनुदान का क्या प्रभाव पड़ता है?

जी.

I. क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता को विदेशी कानून कहा जा सकता है और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत लागू होते हैं**?**

एच.

13. गोवा, दमन और दीव का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र पुर्तगाल राज्य का हिस्सा थे।उन्हें भारत सरकार द्वारा 20.12.1961 पर विजय प्राप्त करके कब्जा कर लिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 1 (3) (c) के आधार पर भारत का हिस्सा बन गया था।विजय द्वारा अधिग्रहण के बाद, ये क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग बन गए, जो भारत है।जैसा कि पहले बताया गया है, उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, 1962 नामक एक अध्यादेश जारी किया।इस अध्यादेश को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 के रूप में जाना जाता है, जो 05.03.1962 से प्रभावी हुआ।उसी दिन, संविधान (12 वां संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके तहत गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची के भाग II में प्रविष्टि 5 के रूप में जोड़ा गया था।गोवा, दमन और दीव के इन क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 240 (1) के खंड (डी) में भी शामिल किया गया था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि गोवा, दमन और दीव विजय द्वारा इसके विलय की तारीख से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का एक अभिन्न अंग बन गए।गोवा 1987 में एक पूर्ण राज्य बना।

बी.

सी.

डी.

14. सिविल कोड पुर्तगाली मूल की संहिता हो सकती है, लेकिन गोवा, दमन और दीव की विजय और विलय के बाद, यह संहिता केवल अध्यादेश के आधार पर और उसके बाद अधिनियम द्वारा गोवा के अधिवासों पर लागू हुई। इसलिए, भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव में नागरिक संहिता लागू की गई है और इस प्रकार, यह एक भारतीय कानून बन जाता है।यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

ई.

एफ.

15. पेमा छिबार बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। 3, एक ऐसे मामले से निपट रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने दस लाख पाउंड से अधिक मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था।हालाँकि गोवा में माल के आयात के ऑर्डर 20.12.1961 से पहले दिए गए थे, लेकिन माल उक्त तिथि तक गोवा नहीं पहुँचा था।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और दावा किया कि भारत सरकार पहले के शासकों द्वारा दिए गए लाइसेंसों से बाध्य थी।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब किसी संपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, तो नए संप्रभु (अर्थात्, भारत सरकार)

पुराने संप्रभु के कार्यों से बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां उसने ऐसे अधिकारों को मान्यता दी हो।याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट अध्यादेश और अधिनियम पर भरोसा रखा गया था।इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"8. लेकिन यही सब कुछ नहीं है।अध्यादेश और 1962 का अधिनियम, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, 5 मार्च, 1962 से लागू हुआ।यह सच है कि उन्होंने पुराने कानूनों को जारी रखने का प्रावधान किया था, लेकिन यह केवल उस तारीख से हो सकता है जब से वे लागू हुए थे, यानी 5 मार्च, 1962 से।20 दिसंबर, 1961 और 5 मार्च, 1962 के बीच की अवधि थी, जिसके दौरान यह नहीं कहा जा सकता कि जहां तक नई प्रजा और नए संप्रभु के बीच अधिकारों और देनदारियों का संबंध है, पुराने कानून अनिवार्य रूप से जारी रहे।जहाँ तक ऐसे अधिकारों और देनदारियों का संबंध है, (हम यहाँ पुराने कानूनों के तहत विषयों और विषयों के बीच अधिकारों और देनदारियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं), पुराने कानून स्पष्ट रूप से इस अंतराल के दौरान लागू नहीं थे।यही कारण है कि हम अध्यादेश की धारा 7 (1) में इस आशय का प्रावधान पाते हैं कि गोवा, दमन और दीव में या उनके संबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के नियत दिन या उसके बाद प्रशासक या सरकार के किसी अन्य अधिकारी, चाहे वह नागरिक हो या सैन्य या प्रशासक या ऐसे अधिकारी के आदेशों के तहत काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई सभी चीजें और की गई सभी कार्रवाई (कार्यकारी प्राधिकरण के किसी भी कार्य, कार्यवाही, फरमान और सजा सहित) उतनी ही वैध और प्रभावी होगी जैसे कि वे गोवा, दमन और दीव की शांति और अच्छी सरकार के लिए आवश्यक थीं।इसी तरह, हमारे पास अधिनियम की धारा 9 (1) में एक प्रावधान है, जो बिल्कुल उन्हीं शब्दों में है।हमारी राय में इन प्रावधानों से पता चलता है कि प्रजा और नए संप्रभु के बीच, पुराने कानून इस अंतराल के दौरान जारी नहीं रहे और यही कारण है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई चीजों और की गई कार्रवाई को मान्य किया गया जैसे कि वे कानून के अनुसार किए गए या किए गए थे।सैन्य राज्यपाल की उस तरह की घोषणा जारी करने की शक्ति के बारे में संदेह पैदा किया गया था जैसा उन्होंने 30 दिसंबर, 1961 को किया था, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।हमारी राय में उस संदेह को इन प्रावधानों से दूर किया जाता है जो ऐसे सभी आदेश बनाते हैं जैसे कि वे कानून के अनुसार किए गए थे।30 दिसंबर, 1961 की घोषणा जो स्पष्ट रूप से

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

यह दर्शाता है कि किस प्रकार के आयात लाइसेंस को मान्यता दी जाएगी, यह कानून के अनुसार होना चाहिए और इसका मतलब है कि घोषणा के दायरे में आने वाले आयातों को छोड़कर किसी भी आयात को मान्यता नहीं दी गई थी।"

हम जानते हैं कि न्यायालय ने पुराने कानूनों के तहत विषयों और विषयों के बीच अधिकारों और देनदारियों के संबंध में कुछ नहीं कहा और उस प्रश्न को खुला रखा।हम इस पहलू पर बाद में चर्चा करेंगे।16. विनोद कुमार शांतिलाल मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

बी.

गोसलिया बनाम गंगाधर नरसिंहदास अग्रवाल 4

यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी नहीं।1 इससे पहले कि उसने पुर्तगाली सरकार से खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, और यदि ऐसा है, तो गोवा के विलय के बाद, भारत सरकार ने उस अधिकार को मान्यता दी और इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 उनके द्वारा पुर्तगाल सरकार को किए गए आवेदन के संदर्भ में।न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

सी.

डी.

"17. …एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराना आवश्यक है कि जब किसी नए क्षेत्र का किसी भी तरह से अधिग्रहण किया जाता है-चाहे वह विजय, विलय या किसी

संधि के बाद समर्पण द्वारा हो-तो नया "संप्रभु" उन अधिकारों से बाध्य नहीं है जो जीते गए क्षेत्र के निवासियों को अपने संप्रभु के खिलाफ थे या अपनी प्रजा के प्रति पुराने संप्रभु के दायित्वों से।किसी क्षेत्र के निवासियों के अपने राज्य या संप्रभु के खिलाफ अधिकार उस क्षेत्र की विजय, विलय या समर्पण के साथ समाप्त हो जाते हैं और नए वातावरण में नहीं जाते हैं। अर्जित क्षेत्र के निवासी अपने साथ कोई अधिकार नहीं लाते हैं जिसे वे उस नए राज्य के खिलाफ लागू कर सकते हैं जिसके वे निवासी बन जाते हैं।नए राज्य को किसी भी सकारात्मक दावे या घोषणा द्वारा ऐसे अधिकारों को अस्वीकार करके अपने दायित्व को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।नया राज्य पुराने अधिकारों को फिर से प्रदान करके उन्हें मान्यता दे सकता है, जो अधिकांश मामलों में अनुबंध या निष्पादन कार्रवाई का मामला होगा; या, वैकल्पिक रूप से, पुराने अधिकारों की मान्यता एक उपयुक्त वैधानिक प्रावधान द्वारा की जा सकती है जिसके द्वारा एक निर्धारित तिथि से तुरंत पहले लागू अधिकारों को बचाया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

पेमा छिबार मामले (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले का विश्लेषण करते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

4 (1981) 4 एससीसी 226 ए

एच.

405

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

“28. पेमा छिबार (ऊपर) में निर्णय चार विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए एक प्राधिकरण हैः(1) यह तथ्य कि विजय प्राप्त क्षेत्र में लागू कानूनों को विजय के बाद नई सरकार द्वारा जारी रखा जाता है, अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नए संप्रभु ने पुराने कानूनों के तहत अधिकारों को मान्यता दी है; (2) विजय या विलय से पहले पुराने कानूनों से उत्पन्न अधिकारों को नए संप्रभु के खिलाफ केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उसने उन अधिकारों को मान्यता देने का विकल्प चुना हो; (3) न तो प्रशासन अधिनियम की धारा 5 और न ही विनियमन की धारा 4 (2) पुराने अधिकारों के नए संप्रभु द्वारा मान्यता के बराबर है जो 20 दिसंबर, 1961 से पहले जीते गए क्षेत्र में लागू कानूनों के तहत उत्पन्न हुए थे, उपरोक्त धारा 4 (2) के तहत संरक्षित एकमात्र अधिकार वे हैं जो

प्रशासन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख के बाद अर्जित हुए थे।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

“29. तब वास्तविक स्थिति यह है कि विजय द्वारा किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के मामलों में, पुराने कानूनों के तहत अर्जित अधिकार जीवित नहीं रहते हैं और नई सरकार के खिलाफ तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि वह उन अधिकारों को मान्यता देने का विकल्प नहीं चुनती है।पुराने अधिकारों को मान्यता देने के लिए, नई सरकार के लिए उन पुराने कानूनों को जारी रखना आवश्यक नहीं है जिनके तहत वे अधिकार अर्जित हुए थे क्योंकि पुराने अधिकारों को पुराने कानूनों को जारी रखे बिना मान्यता दी जा सकती है, उदाहरण के लिए, अनुबंध या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा।एक ओर नई सरकार पुराने कानूनों को जारी रखे बिना पुराने अधिकारों को मान्यता दे सकती है तो दूसरी ओर पुराने कानूनों को जारी रखने का मतलब उन कानूनों के तहत प्राप्त पुराने अधिकारों को मान्यता देना नहीं है।इस दावे का समर्थन करने के लिए कि नई सरकार द्वारा पुराने अधिकारों को मान्यता दी गई है, पुराने कानूनों को जारी रखने से कुछ अधिक आवश्यक है।वह 'कुछ और' एक वैधानिक प्रावधान में पाया जा सकता है जिसके तहत अधिकार थे

एफ.

जी.

एच.

पुराने कानूनों के तहत पहले से ही अर्जित धन को बचा लिया जाता है।जहाँ तक पुराने कानूनों के जारी रहने का संबंध है, एक सामान्य नियम के रूप में, वे विजय के बाद भी जारी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि नई सरकार को उन्हें बिल्कुल भी अपनाने या उनकी निरंतरता में विराम के बिना उन्हें अपनाने या विजय की तारीख के बाद की तारीख से उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता है।”

बी.

17. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक पुराने कानूनों के जारी रहने का संबंध है, नए संप्रभु पुराने कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।पुराने कानूनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अपनाने की स्वतंत्रता है।यह पुराने कानूनों को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है और उन्हें उन कानूनों से प्रतिस्थापित कर सकता है जो नए संप्रभु के अन्य क्षेत्रों में लागू होते हैं।यह नए संप्रभु को तय करना है कि वह कानूनों को लागू करने के संबंध में क्या कार्रवाई करेगा और किस तारीख से कौन सा कानून लागू होगा।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, सबसे पहले राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश द्वारा और बाद में संसद ने संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्णय लिया कि गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों पर विजय से पहले लागू होने वाले कुछ कानून, जिन्हें पूर्ववर्ती पुर्तगाली कानून के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, इन क्षेत्रों में जारी रहेंगे।हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि ये कानून केवल तब तक जारी रहेंगे जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

सी.

डी.

18. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ये कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो और पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल भारत की संसद के एक अधिनियम के कारण गोवा में लागू होती रही।इसलिए, पुर्तगाली कानून जो विदेशी मूल का हो सकता है, भारतीय कानूनों का एक हिस्सा बन गया, और कुल मिलाकर यह एक भारतीय कानून है।यह अब कोई विदेशी कानून नहीं है।गोवा भारत का एक क्षेत्र है; गोवा के सभी अधिवास भारत के नागरिक हैं; पुर्तगाली नागरिक संहिता केवल अध्यादेश और ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम के कारण लागू होती है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि संहिता एक भारतीय कानून है और इस मामले में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है।हम उसी के अनुसार प्रश्न संख्या एक का उत्तर देते हैं।

ई.

एफ.

19. एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत सरल हो जाता है।

जी.

II. क्या गोवा के क्षेत्र के बाहर गोवा के अधिवास की संपत्ति संहिता या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होगी**,** जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू होता है**,** जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम**, 1956,** मुस्लिम व्यक्तिगत कानून **(**शरीयत**)** आवेदन अधिनियम**, 1937,** आदि।**?**

एच.

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

20. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित भाग IV में अनुच्छेद 44 में संविधान के संस्थापकों ने उम्मीद और अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।हालाँकि हिंदू कानूनों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय के प्रोत्साहन के बावजूद देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।अहमद खान बनाम शाह

बी.

बानो 5 और सरला मुद्गल और अन्य बनामभारत संघ और अन्य। 6.

21. हालाँकि, गोवा एक ऐसे भारतीय राज्य का एक चमकदार उदाहरण है जिसमें कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा करने के अलावा सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं होगा कि पुर्तगाली नागरिक संहिता के कुछ हिस्सों को निरस्त कर दिया गया है और गोवा उत्तराधिकार, विशेष नोटरी और इन्वेंटरी कार्यवाही अधिनियम, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो मोटे तौर पर पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप है।पारिवारिक संपत्तियों के संबंध में मुख्य विशेषताएं यह हैं कि एक विवाहित जोड़े के पास शादी से पहले स्वामित्व वाली या प्रत्येक पति या पत्नी द्वारा शादी के बाद अर्जित सभी संपत्तियों का स्वामित्व संयुक्त रूप से होता है। इसलिए, तलाक के मामले में, प्रत्येक जीवनसाथी संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार है। हालाँकि, कानून विवाह-पूर्व समझौतों की अनुमति देता है जिनमें परिसंपत्तियों के विभाजन की एक अलग प्रणाली हो सकती है।एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जैसा कि पहले बताया गया है, यह है कि संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों को वैध के रूप में देना पड़ता है।यह, कुछ मायनों में, हिंदू कानून में 'सह-सहभागी' की अवधारणा के समान है।हालाँकि, जहाँ तक गोवा का संबंध है, यह वैधता स्व-अर्जित संपत्तियों पर भी लागू होगी। जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां गोवा में पंजीकृत हैं, वे बहुविवाह नहीं कर सकते।इसके अलावा, इस्लाम के अनुयायियों के लिए भी मौखिक तलाक का कोई प्रावधान नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

22. यह इस संदर्भ में है कि हमें यह तय करना होगा कि बॉम्बे में स्थित स्वर्गीय जे. एम. पी. की संपत्ति, यानी गोवा के क्षेत्र के बाहर, संहिता द्वारा या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगी या नहीं। जैसा कि पहले बताया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का टकराव नहीं है।भारतीय संसद ने गोवा राज्य में पहले के पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू किया है। इसी संदर्भ में अब हम अनुच्छेद 24 को पढ़ेंगे, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित निर्णय में बहुत अधिक भरोसा किया गया है।यह लेख इस प्रकार हैः

जी.

5 (1985) 2 एससीसी 556 6 (1995) 3 एससीसी 635

एच.

"पुर्तगाली प्रजा जो विदेश की यात्रा करती है या निवास करती है, राज्य में स्थित अपनी नागरिक क्षमता, अपनी स्थिति और अचल संपत्तियों के संबंध में उन अधिनियमों के संबंध में पुर्तगाली कानूनों के अधीन होगी जो उसमें प्रभाव डालेंगे।हालांकि, अधिनियमों का बाहरी रूप उस देश के कानून द्वारा शासित होगा, जहां उन्हें मनाया गया था, सिवाय उन मामलों के जहां इसके विपरीत प्रावधान है।"

बी.

हमारे विचार में, यह लेख वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।जब कोई कानून किसी नई स्थिति में अपनाया या लागू किया जाता है, तो उसे उस संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। हमें अनुच्छेद 24 को विजय द्वारा गोवा के क्षेत्रों के विलय और उनके भारत का एक अंतर्निहित हिस्सा बनने के संदर्भ में पढ़ना होगा।गोवा के कोई नागरिक नहीं हैं; गोवा के निवासी हो सकते हैं लेकिन सभी भारत के नागरिक हैं।भारतीय नागरिकों के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, वे देश के किसी भी हिस्से में जाने, वहां रहने और स्थानीय कानूनों और सीमाओं के अधीन संपत्ति खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।इसलिए, गोवा का अधिवास, जो बॉम्बे या भारत के किसी अन्य हिस्से में रहने लगता है, उसे किसी भी तरह से पुर्तगाली नहीं कहा जा सकता है और उसे किसी विदेशी देश में रहने वाला नहीं कहा जा सकता है।भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह से विदेश में रहने वाला नहीं कहा जा सकता है।यह व्यक्ति भारत में गोवा के बाहर रहने वाला केवल एक गोवा

निवासी है, जो उसका देश है।इसलिए, हमारी राय में अनुच्छेद 24 की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

सी.

डी.

ई.

23. यह हमें इस मुद्दे पर लाता है कि कौन सा कानून लागू होगा।पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि संहिता लागू होती है।अब हम संहिता के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करेंगे।संहिता का अनुच्छेद 1737 इस प्रकार हैः

"विरासत में मृतक की सभी संपत्तियां, अधिकार और दायित्व शामिल हैं, जो केवल व्यक्तिगत नहीं हैं या उक्त मृतक के स्वभाव या कानून द्वारा बहिष्कृत नहीं हैं।" अनुच्छेद 1737 को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मृतक की विरासत में मृतक की सभी संपत्ति, अधिकार और देनदारियां शामिल हैं।एकमात्र बहिष्करण, पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति या वे हैं जिन्हें उक्त मृतक के स्वभाव या कानून द्वारा बाहर रखा गया है।

एफ.

जी.

24. अनुच्छेद 1766 में प्रावधान किया गया है कि एक विवाहित व्यक्ति दंपति की कुछ और विशिष्ट संपत्तियों का निरस्तीकरण नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उक्त संपत्तियां उक्त व्यक्ति को आवंटित की गई हों।लेख इस प्रकार हैः

एच.

409

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

"देश की प्रथा के अनुसार विवाहित लोग, शून्यता के दंड के तहत, दंपति की कुछ और विशिष्ट संपत्तियों का निपटान नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि उक्त संपत्तियां उन्हें विभाजन में आवंटित की गई हैं, या बिरादरी में शामिल नहीं हैं, या यदि पति-पत्नी में से एक ने दूसरे के पक्ष में व्यवहार किया है, या यदि दूसरे पति-पत्नी ने प्रामाणिक रूप से सहमति दी है।"

बी.

इस अनुच्छेद का आधार यह है कि दोनों पति-पत्नी जोड़े की पूरी संपत्ति के समान मालिक हैं-जो शादी से पहले या बाद में अर्जित की गई है।इसलिए, दूसरे पति या पत्नी की सहमति के

बिना संपत्ति के कुछ हिस्से के निपटान को शून्य कहा जा सकता है।हम इस अनुच्छेद का उल्लेख केवल इस तथ्य को उजागर करने के लिए कर रहे हैं कि नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में यह भी विचार करने योग्य कारक होगा क्योंकि क्या यह कहा जा सकता है कि यह अनुच्छेद केवल गोवा के क्षेत्र के भीतर की संपत्तियों पर लागू होगा और देश के अन्य हिस्सों यानी भारत में संपत्तियों पर नहीं?25. अनुच्छेद 1774 इस प्रकार हैः

सी.

"वैध समय को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य व्यक्ति केवल उस हिस्से का निपटान कर सकते हैं जिसे कानून उन्हें निपटाने की अनुमति देता है।"

डी.

एक अधिवासी अपने व्यक्तिगत कानून के तहत एक वैध अधिकार सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है जिसका निपटान केवल विरासत के कानूनों के अनुसार किया जा सकता है।जैसा कि पहले बताया गया है, अधिकांश मामलों में वैधता आधी होगी।फिर से, सवाल यह उठेगा कि क्या इस वैधता की गणना केवल गोवा में अचल संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए या मृतक की सभी संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए?एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएँ कि नागरिक संहिता एक भारतीय कानून है और गोवा के अधिवास, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, भारतीय नागरिक हैं, तो क्या यह मानना विवेकपूर्ण होगा कि नागरिक संहिता, उत्तराधिकार के मामलों में, केवल गोवा के क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के संबंध में लागू होगी?हम ऐसा नहीं सोचते हैं।

ई.

एफ.

26. उत्तराधिकार सामान्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होता है और जहां एक समान नागरिक संहिता है, जैसा कि गोवा में, नागरिक संहिता द्वारा है।एक बार जब अनुच्छेद 24 पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि गोवा के भीतर या गोवा के बाहर की सभी संपत्तियों को गोवा के नागरिक संहिता द्वारा शासित किया जाना चाहिए। अगर हम अन्यथा मानते हैं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।उत्तराधिकार की कोई निश्चितता नहीं होगी।वैधानिकता का निर्धारण करना लगभग असंभव होगा जो उत्तराधिकार के कानून का एक अंतर्निहित हिस्सा है।50 प्रतिशत संपत्ति रखने के पति-पत्नी के अधिकारों को आसानी से हराया जा सकता है।

जी.

एच.

गोवा राज्य के बाहर संपत्ति खरीदकर। गोवा के हिंदू अधिवास के मामले में यह और जटिलताओं को जन्म देगा क्योंकि अगर हम गोवा में संपत्तियों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और प्रत्यर्थीगण की दलीलों को स्वीकार करते हैं, तो नागरिक संहिता लागू होगी लेकिन गोवा के क्षेत्र के बाहर की संपत्तियों के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा।इसी तरह, गोवा राज्य के भीतर मुसलमानों के लिए, नागरिक संहिता लागू होगी और गोवा के बाहर, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 लागू होगा।इससे उत्तराधिकार के संबंध में कई अनावश्यक विवाद और पूर्ण अनिश्चितता पैदा होगी।

बी.

27. उत्तराधिकार में एकता होनी चाहिए।पुर्तगाली कानून वंशानुगत यानी एक मृत व्यक्ति की पूरी कानूनी स्थिति के लिए विरासत की रोमन कानून अवधारणा पर आधारित है। सार्वभौमिक उत्तराधिकार की इस अवधारणा का वर्णन नागरिक कानून उत्तराधिकार के तुलनात्मक विश्लेषण में किया गया है, 7 निम्नानुसार हैः

सी.

"18. सिविल लॉ उत्तराधिकार के तुलनात्मक विश्लेषण, विलानोवा लॉ रिव्यू खंड 11 अंक 2 में, 'सार्वभौमिक उत्तराधिकार' और 'वंशानुगत' की अवधारणा को इस प्रकार वर्णित किया गया है

डी.

" … किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति की संपूर्णता के लिए उत्तराधिकार, जिसमें मृतक के सभी अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं, जिन्हें रोमन कानून के तहत सामूहिक रूप से वंशानुगत के रूप में जाना जाता है।पूरी संपत्ति का उत्तराधिकार एक उत्तराधिकारी (यहाँ) या कई (वंश) द्वारा किया जा सकता है, वे संयुक्त रूप से ले सकते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उत्तराधिकार वसीयतनामा या निर्वसीयत था।संपत्ति (वंशानुगत), जो रोमन उत्तराधिकार में पारित हुई, मृतक व्यक्ति (व्यक्तित्व) के सभी अधिकारों और कर्तव्यों का योग था, सिवाय उसके राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक अधिकारों के जिन्हें विरासत में नहीं माना जाता था।उत्तराधिकारियों को उपाधि का हस्तांतरण व्यक्ति की मृत्यु के साथ-साथ माना जाता था और उस समय यह उपाधि का पूर्ण हस्तांतरण था।"

ई.

एफ.

हालाँकि हमने माना है कि यह भारतीय कानून है, क्योंकि यह पुर्तगाली मूल का कानून है, हमें यह देखने के लिए कि कानून का उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष पर आने के लिए कानून को लागू करने के तरीके से मार्गदर्शन लेना पड़ सकता है।इसलिए, उस व्यक्ति की सभी संपत्तियों की गणना की जानी चाहिए और एक बड़ी सामूहिक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और फिर उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे।28. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन ए के बीच संघर्ष है।

जी.

एच.

411

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

उत्तराधिकार के कानूनों के संबंध में अधिनियम, 1937, आदि और पुर्तगाली नागरिक संहिता लेकिन इस संघर्ष को हल करना होगा।हमारे विचार में, भारत की संसद ने गोवा पर विजय प्राप्त करने के बाद, पुर्तगाली नागरिक संहिता को अपनाते हुए स्वीकार किया कि गोवा के अधिवास को संहिता के तहत आने वाले मामलों में उस कानून द्वारा शासित किया जाना था और विशेष रूप से उन कानूनों में शामिल किया जाना था जिन्हें लागू किया गया था।भारतीय संसद ने सभी पुर्तगाली कानूनों को लागू नहीं किया, लेकिन जो कानून लागू किए गए थे, वे पूरी ताकत से लागू होंगे।गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 अकेले गोवा के अधिवासों से संबंधित एक विशेष कानून है।पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू करने वाला यह विशेष कानून उत्तराधिकार के सामान्य कानूनों जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 और अन्य कानूनों से बना एक अपवाद है।

बी.

सी.

29. यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जब सामान्य कानून और विशेष कानून के बीच टकराव होता है तो विशेष कानून प्रबल होगा।यह सिद्धांत विशेष कानून पर अधिक बल के साथ लागू होगा जो अतिरिक्त रूप से एक स्थानीय कानून भी है। यह न्यायिक सिद्धांत लैटिन मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट पर आधारित है, अर्थात, सामान्य कानून विशेष कानून के लिए उपज देता है यदि वे एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं।आर. एस. रघुनाथ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। कर्नाटक राज्य और

डी.

ओआरएस। 8, वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान बनाम। बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य। 9 और आत्मा राम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम.द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 10

ई.

30. जहाँ तक गोवा का संबंध है, इसमें एक विशिष्ट निर्णय है।

संदर्भ अर्थात जस्टिनियानो ऑगस्टो डी पाइडेड बैरेटो और ओआरएस बनामएंटोनियो

विसेंट दा फोंसेका और अन्य, 11 हालांकि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 की व्याख्या से संबंधित है, जो स्थानीय और विशेष कानूनों से संबंधित है।पुर्तगाली नागरिक संहिता के मुद्दे पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने से नहीं बच सकता है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2) के दायरे में एक स्थानीय कानून है।एक विशेष कानून एक विशेष कानून से संबंधित कानून है।

एफ.

जी.

7 सिविल लॉ उत्तराधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण, विलानोवा लॉ रिव्यू वॉल्यूम। 11, अंक 2

8 (1992) 1 एस. सी. सी. 335

9 (2014) 8 एस. सी. सी. 319

10 (2018) 2 एससीसी 27

11 (1979) 3 एस. सी. सी 47

एच.

जबकि एक स्थानीय कानून एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र तक सीमित कानून है।हमारे विचार में, पुर्तगाली नागरिक संहिता, उत्तराधिकार के मामलों में, एक विशेष कानून और एक स्थानीय कानून दोनों है।यह विशेष और स्थानीय है क्योंकि यह केवल गोवा के अधिवासों के लिए उत्तराधिकार के कानूनों से संबंधित है।इस निर्णय के पैरा 14 में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“14. इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुर्तगाली नागरिक संहिता में मुकदमों आदि की सीमा के विषय से संबंधित और केवल केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में लागू प्रावधानों का निकाय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर 'स्थानीय कानून' है।जैसा कि पहले कहा गया है कि इन प्रावधानों को सीमा अधिनियम, 1963 में पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कि सीमा अधिनियम की अनुसूची में उत्परिवर्तन के साथ संशोधन किया गया है।तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं उठता।हम न्यायिक आयुक्त से सहमत हैं कि सीमा से संबंधित पुर्तगाली नागरिक संहिता के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में लागू हैं।

बी.

सी.

डी.

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता एक विशेष अधिनियम होने के नाते, जो केवल गोवा के अधिवासों पर लागू होता है, गोवा के अधिवासों पर उन सभी संपत्तियों के संबंध में लागू होगा जो वे भारत में कहीं भी स्थित हैं, चाहे वे गोवा के भीतर हों या गोवा के बाहर और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5 या उत्तराधिकार के कानून ऐसे गोवा के अधिवासों पर लागू नहीं होंगे।

ई.

III. जेएमपी द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रोबेट के अनुदान का क्या प्रभाव पड़ता है**?**

32. अब हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे "बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा स्वर्गीय जे. एम. पी. की वसीयत के प्रोबेट के अनुदान का क्या प्रभाव है?” शुरुआत में, हम कह सकते हैं कि प्रोबेट देने का आदेश किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, हालांकि सभी पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि प्रोबेट दिया गया था और इसमें अपीलार्थीगण को प्रोबेट मामले की सूचना दी गई थी।यह मानते हुए कि प्रोबेट दिया गया था, विरासत के कानूनों पर प्रोबेट के अनुदान का क्या प्रभाव पड़ता है?प्रोबेट के अनुदान का विरासत से कोई लेना-देना नहीं है।प्रोबेट अदालत का अधिकार क्षेत्र यह तय करने तक सीमित है कि वसीयत वास्तविक है या नहीं।वसीयत वास्तविक हो सकती है लेकिन प्रोबेट के अनुदान का मतलब यह नहीं है कि वसीयत वैध है, भले ही वह विरासत के कानूनों का उल्लंघन करती हो।उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक हिंदू वसीयत द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत करता है और वसीयत का प्रोबेट दिया जाता है, तो प्रोबेट का ऐसा अनुदान ए के उन सदस्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।

एफ.

जी.

एच.

413

जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ावेलेंटीना पेरीरा और ए. एन. आर. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

सह-सदस्य जिसका जन्म से ही संपत्ति पर अधिकार था।गोवा में भी यही स्थिति है। वैधानिकता जन्म से उत्तराधिकारियों का अधिकार है।जब दोनों पति-पत्नी जीवित होते हैं, तो वे आधी संपत्ति के मालिक होते हैं।केवल प्रोबेट देने का मतलब यह नहीं होगा कि पति आधे से अधिक संपत्ति को विल से छीन सकता है, भले ही वह उसके नाम पर हो।

33. कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह मामले में यह अदालत

बी.

लोढ़ा 12 निम्नानुसार आयोजित किया गयाः“57. इस मामले में 1925 के अधिनियम का विरासत या उत्तराधिकार के कानून से कोई लेना-देना नहीं है जो अन्यथा वैधानिक कानूनों या प्रथा द्वारा शासित है, जैसा भी मामला हो।यह विस्तृत प्रावधान करता है कि प्रोबेट के अनुदान के लिए आवेदन कैसे और किस तरीके से दायर किया जाना है, विचार किया जाना है और दिया जाना है या अस्वीकार किया जाना है।पक्षकारों के साथ-साथ न्यायालय द्वारा नियुक्त निष्पादकों और प्रशासकों के अधिकार और दायित्व इसमें निर्धारित किए गए हैं। मौजूदा निष्पादकों और प्रशासकों को हटाना और बाद के निष्पादकों की नियुक्ति अदालत के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।परिवीक्षाधीन न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल वसीयत की वास्तविकता पर विचार करने तक सीमित है।अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले स्वामित्व के सवाल को (एस. आई. सी. प्रोबेट) कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है।किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित से संबंधित वसीयत का निर्माण परिवीक्षाधीन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।”

सी.

डी.

ई.

उपरोक्त मामले में कानून के स्पष्ट स्पष्टीकरण को देखते हुए, हम मानते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रोबेट का अनुदान किसी भी तरह से मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के विरासत के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

एफ.

34. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पैराग्राफ 1 में बनाए गए प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसमें कहा गया है कि यह पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 होगी जो गोवा राज्य में लागू होगी, जो भारत में कहीं भी गोवा के बाहर स्थित गोवा के अधिवास की संपत्तियों के संबंध में भी उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करेगी।

जी.

35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और बॉम्बे में दिवंगत जे. एम. पी. की संपत्ति को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए गोवा में इन्वेंट्री कार्यवाही में संपत्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।इसलिए, हम अनुमति देते हैं

12 (2008) 4 एससीसी 300

एच.

414

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

अपील, विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 08.08.2002 के फैसले को दरकिनार कर दें और इन्वेंटरी प्रोसीडिंग्स No.20436 दिनांक 15.10.1999 में मडगांव में साल्सेट और क्केपेम के कोमार्का न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश को बहाल करें।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.